**भारतीय रिजर्व बैंक**
**गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग**
**केंन्द्रीय कार्यालय**
**सेंटर - 1 , विश्व व्यपार केन्द्र**
**कफ परेड, कोलाबा**
**मुंबई- 400 005**

**अधिसूचना संख्या. डीएनबीएस.(पीडी) 221/सीजीएम(यूएस) दिनांक 05 जनवरी 2011**

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल) में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशियां न स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 (जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ढ क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

पैराग्राफ -1 में संशोधन

उप पैराग्राफ (3) में, खण्ड (iv) के बाद निम्नलिखित खण्ड (v) तथा (vi) को जोडा जायेगा.

" (v) यह निदेश कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक ) निदेश 2011 ( जिन्हें बाद में कोर निवेश कंपनी (CICs) निदेश कहा गया है) में संदर्भित कोर निवेश कंपनी वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगी, जो कोर निवेश कंपनी निदेश के खण्ड (ज) के उप पैराग्राफ (1) के पैराग्राफ 3 में परिभाषित प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी नहीं है.

"(vi) इन निदेश के पैराग्राफ 15,16 तथा 18 के प्रावधान कोर निवेश कंपनी निदेश में पारिभाषित प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी पर लागू नहीं होंगे बशर्ते कोर निवेश कंपनी वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करती है तथा कोर निवेश कंपनी निदेश में निहित पूंजी आवश्यकताओं तथा लाभ अनुपात के आवश्यकताओं का अनुपालन करती है.

**( उमा सुब्रमणियम )**
**प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक**